Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **परिवहन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ परिवहन विभाग के ब्यावर, नसीराबाद, विजयनगर, केकडी, किशनगढ व अजमेर आदि कार्यालयों के अधिकारी, कर्मचारियो व प्राईवेट दलालों के 11 ठिकानों पर आकस्मिक सर्च।**
- **परिवहन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों व प्राईवेट दलालों के ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, 08 जनवरी गुरूवार/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री गोविन्द गुप्ता ने बताया कि ब्यूरो मुख्यालय को गोपनीय सूत्र–सूचना प्राप्त हुई थी कि परिवहन विभाग के ब्यावर, नसीराबाद, विजयनगर, केकडी, किशनगढ व अजमेर आदि कार्यालयों के सरकारी अधिकारी कर्मचारियों द्वारा प्राईवेट दलालों के साथ मिलीभगत कर विभिन्न राज मार्गो से गुजरने वाले परिवहन वाहनों से 600 रू. से 1000 रु. तक प्रति वाहन से होटल शेरे पंजाब, ब्यावर, जगदम्भटी स्टॉल, नसीराबाद, होटल आर.जे.01, नसीराबाद के माध्यम से वसूली की जा रही है। उक्त सूचना का विस्तृत एवं गहराई से सत्यापन करवाया गया तो उक्त तथ्यों की पुष्टि हुई एवं प्राईवेट दलालों द्वारा विभिन्न वाहन चालकों से परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान कमीयां निकालने, ऑवरलॉड वाहनों पर कार्यवाही नहीं करने तथा गाडियां जब्त नहीं करने की एवज में रिश्वत राशि लेकर परिवहन विभाग के अधिकारियों को पहुंचाये जाने की प्रकट हुआ। यहां यह उल्लेखनीय है कि परिवहन अधिकारियों/कर्मचारियों एवं दलालों द्वारा मोबाईल फोन मैसेंजिंग, डिजीटल पैमेन्ट एवं हाईवे पर स्थित होटल ढाबों के मार्फत रिश्वत राशि का लेनदेन किया जाना प्रकट हुआ। प्राईवेट दलालों द्वारा कई मोबाईलों का प्रयोग कर कॉल सेन्टर जैसी व्यवस्था स्थापित करते हुए वाहन चालकों से एन्ट्री प्राप्त होने के पश्चात संबंधित आरटीओ टीम को वाहन का नम्बर फोरवर्ड करने की व्यवस्था चलाना प्रकट हुआ, जिससे सहजता से रिश्वत राशि का आदान प्रदान किया जा सके।

उक्त सत्यापन के आधार पर एसीबी जयपुर के उप महानिरीक्षक श्री अनिल कयाल के सुपरवीजन में आज ब्यूरो मुख्यालय की 12 टीमों द्वारा ब्यावर, नसीराबाद, विजयनगर, केकडी, किशनगढ व अजमेर आदि कार्यालयों के परिवहन अधिकारी, कर्मचारियों के ठिकानों, फ्लाईंग स्क्वाड, प्राईवेट दलालों एवं उनके परिसरों की आकस्मिक चैकिंग की गई। आज की गई आकस्मिक चैकिंग की कार्यवाही में वाहनों से अवैध एन्ट्री प्राप्त करने के संबंध में काफी संख्या में संदिग्ध दस्तावेज, मोबाईलों में डिजीटल डेटा बरामद हुआ। होटल शेरे पंजाब, ब्यावर, होटल आरजे 01, नसीराबाद एवं जगदम्बा टी स्टॉल नसीराबाद के द्वारा परिवहन विभाग के लिए वाहनों से 600 रु. से 1000 रू. अवैध वसूली करना पाया गया, जिनके द्वारा दलाल, श्री विकम सिंह, पिपरोली व श्री संजय यादव को वाहनों से नकद एवं पेटीएम के माध्यम से पैसा प्राप्त होने पर परिवहन विभाग के उड़न दस्तें को कोड़ वर्ड मे वाहनों को पास करने की सूचना देना पाया गया।

आज की कार्यवाही में परिवहन विभाग के निरीक्षक श्री जलसिंह एवं उनके प्राईवेट सहायक श्री प्रदीप जोधा, दलाल श्री विक्रम सिंह पिपरोली व श्री संजय यादव, ढाबा संचालक

श्री बुधे सिंह श्री महेन्द्र कुमार, श्री सुनील कुमार तथा परिवहन विभाग के संविदा गार्ड श्री लक्ष्मण काठात, श्री गुलाब काठात एवं संदिग्ध रामूराम, मनोहर गाँधी, बुद्विप्रकाश प्रजापत तथा कृष्णा सिंह कुल 13 व्यक्तियों को अग्रीम कार्यवाही हेतु डिटैन किया गया है, जिनसे 1,16,700 रूपये की संदिग्ध राशि, 19 मोबाईल, 4 सीसीटीवी डीवीआर, 12 संदिग्ध डायरियां जिनमें लाखों रूपये का हिसाब किताब एवं हजारों रूपयों का डीजीटल पैमेन्ट का रिकॉर्ड प्राप्त हुआ है।

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव व श्री सत्येन्द्र कुमार महानिरीक्षक के निर्देशन एवं श्री अनिल कयाल उप महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय के सुपरविजन में एसीबी की 12 टीमों द्वारा संदिग्ध आरोपीगणों से पूछताछ व कार्यवाही जारी है।